न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी प्र.सं. 193/2023 जीसीएमएस नं. : 2023/272 हीरालाल बनाम सरपंच ग्रा.पं. 20 एलएम आदि अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम
16.08.2024	**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना,** आई.ए.एस. उपस्थिति :– 1. श्री बलवीर गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थी 2. स्वयं, अप्रार्थी सं. 2 –:: निर्णय ::– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी ने निगरानी प्र.सं. 17/2021 में पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 जिसके द्वारा प्रार्थी हीरालाल की निगरानी वकील प्रार्थी के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गयी हैं को अपास्त कराने के अनुतोष के आधार पर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया हैं। परन्तु आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थी को अपनी अनुपस्थिति हेतु पर्याप्त हेतुक न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने पर ही न्यायालय का समाधान हो जाने के उपरान्त न्यायालय इस प्रकार के आदेश को अपास्त कर सकता हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद् सं. 3 में अंकित किया हैं कि प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थी नेक नियत हैं। प्रार्थी बीमार हो जाने के कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका था, तथा प्रार्थी के अधिवक्ता किसी कारण वश उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सके इसलिए अदम हाजरी अदम पैरवी में निगरानी याचिका खारिज फरमाई गयी हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्वयं के बीमार होने के कारण अनुपस्थिति का अंकन किया गया हैं तथा उनकी ओर से मुकर्र अधिवक्ता के संबंध में उनका कथन हैं कि वे किसी कारण वश उपस्थित नहीं आ सके, परन्तु उनके द्वारा अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे न्यायालय का यह समाधान हो सके कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उपस्थित नहीं होने का कृत्य नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)